(134)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक **3894**/पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक **04-11-2016** पारित द्वारा नायब तहसीलदार, सरदारपुर जिला धार प्रकरण क्रमांक 1/बी-121/2015-16.

---

1. कन्हैयालाल पिता गंगाराम
2. भोलाराम पिता गंगाराम

निवासीगण ग्राम सुल्तानपुर
तहसील सरदारपुर जिला धार .....आवेदकगण

विरूद्ध

1. उमराव पिता भेराजी
2. जयराम पिता भेराजी पिता

निवासीगण ग्राम सुल्तानपुर
तहसील सरदारपुर जिला धार .....अनावेदकगण

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री टी.सी. नगरिया, अभिभाषक, अनावेदकगण

-:: आ दे श ::

(आज दिनांक 27/6/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत नायब तहसीलदार, तहसील सरदारपुर जिला द्वारा जारी संशोधित आदेश दिनांक 04-11-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा ग्राम सुल्तानपुर तहसील सरदारपुर स्थित उनके भूमिस्वामी स्वत्व की सर्वे क्रमांक 617 रकबा 0.350, सर्वे क्रमांक 620 रकबा 0.345, सर्वे क्रमांक 621 रकबा 0.345 हेक्टेयर एवं सर्वे क्रमांक 644 रकबा 0.243

हेक्टेयर भूमि के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र तहसीलदार तहसील सरदारपुर जिला धार के समक्ष प्रस्तुत किया गया। तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 1/बी-121/2015-16 दर्ज कर राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी से सीमांकन कराया जाकर दिनांक 11-11-16 को सीमांकन आदेश पारित किया गया । आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय द्वारा सीमांकन किये जाने हेतु जारी संशोधित आदेश दिनांक 4-11-16 के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किये गये कि तहसील न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में संशोधित आदेश दिनांक 04.11.2016 को दिया गया है, जबकि सूचना पत्र में दिनांक 02.11.2016 का उल्लेख है, जो कि विधि विरूद्ध होकर निरस्त किये जाने योग्य है। यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा हितबद्ध व्यक्तियों एवं पड़ोसी कृषकों को सूचना दिये जाने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया है और ना ही उन्हें कोई सूचना दी गई है। इस आधार पर कहा गया कि तहसील न्यायालय की उक्त कार्यवाही संहिता की धारा 124 से 129 के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। तर्क में यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्थायी सीमा चिन्हों से सीमांकन नहीं किया गया है । इस आधार पर कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि का किया गया सीमांकन अवैध होने से निरस्त किये जाने योग्य है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि सीमांकन का प्रकरण अ-12 मद में दर्ज होता है, जबकि तहसील न्यायालय का बी-121 मद में दर्ज किया है जो कि त्रुटिपूर्ण है। यह भी कहा गया कि मूल प्रकरण वापस लेने के बाद एकाएक विधि विरूद्ध पुन: दिनांक 04.11.2016 को संशोधित आदेश आदेश पारित कर सीमांकन दल गठित किया गया है, जिसमें किस दिनांक को सीमांकन कार्य किया जाना है, रिक्त स्थान रखा गया है । यह भी तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण को व्यक्तिगत सूचना नहीं दी गई है, जबकि व्यक्तिगत सूचना दिया जाना आवश्यक है। इस संबंध में सूचना पत्र कन्हैया लाल व भोलाराम को नहीं दी गई व अन्य को नहीं दी गई और पत्र में दिनांक 02.11.2016 का उल्लेख है, जबकि मूल आज्ञा 04.11.2016 का है। अत: दिनांक 02.11.2016 का उक्त पत्र अपने आप में शंकास्पद है। इस आधार पर कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा सीमांकन नियमों के विपरीत कार्यवाही की गई है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। यह भी कहा गया कि आवेदकगण तहसील न्यायालय की कार्यवाही लंबित

रखने के उद्देश्य से यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। उनके द्वारा निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण में संलग्न सूचना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदकगण को सीमांकन के सम्बन्ध में सूचना दी गई है, जिस पर उनके हस्ताक्षर भी हैं । ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदकगण को सीमांकन कार्यवाही की सूचना नहीं थी । इस प्रकार स्पष्ट कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदकगण को सूचना पत्र की तामीली कराई जाकर उपस्थित पंचों के समक्ष सीमांकन किया गया है, जो विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर नायब तहसीलदार, सरदारपुर जिला धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 4-11-16 विधिसंगत होने से स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर